

वसिमत करने का अधिकार

प्रलिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [वसिमत करने का अधिकार](#), [व्यक्तगत डेटा](#), [नजिता का अधिकार](#), [सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005](#)

मेन्स के लयि:

वसिमत करने का अधिकार और गोपनीयता की रक्षा के लयि सरकार के कदम, संबंधति चुनौतयिँ, डेटा गोपनीयता अधिकार

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यँ?

हाल ही में [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#) एक ऐसे मामले की सुनवाई के लयि सहमत हो गया है जो भारत में "[वसिमत करने का अधिकार](#)" को पुनः परभाषति कर सकता है, जहाँ वर्तमान में कोई वैधानकि ढाँचा मौजूद नहीं है।

- यह अधिकार [यूरोपीय गोपनीयता कानून](#) में "[राईट टू इरेज़](#)" के रूप में भी जाना जाता है, जो कसिी व्यक्त की अपनी डजिटल छाप को सार्वजनकि दृश्य से हटाने की क्षमता से संबंधति है, जब यह उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है।
- इस नषिकर्ष से पूरे देश में इस अधिकार को समझने और इसके कार्यान्वयन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

वसिमत करने का अधिकार क्या है?

- **परभाषा:** वसिमत करने का अधिकार व्यक्तयिँ को [डजिटल प्लेटफॉर्मों](#) से अपने [व्यक्तगत डेटा](#) को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है जब यह पुराना, अप्रासंगकि या उनकी गोपनीयता के लयि हानिकारक हो।
- **यूरोपीय संदर्भ:** [लक्ज़मबर्ग स्थति यूरोपीय संघ के न्यायालय \(CJEU\)](#) द्वारा वर्ष 2014 में स्थापति, वसिमत करने के अधिकार को "[गूगल स्पेन मामले](#)" में उजागर कया गया था, जसिके तहत गूगल को अनुरोध कयि जाने पर 'अपर्याप्त, अप्रासंगकि या अब प्रासंगकि नहीं' डेटा को हटाने की आवश्यकता थी।
 - न्यायालय ने कहा कसिर्च इंजनों को ऐसी सूचना को हटाने के अनुरोधों पर प्रतिकरिया देनी चाहयि जो अब प्रासंगकि नहीं है या समय बीतने के साथ अत्यधिक हो गई है।
 - यूरोपीय संघ में, वसिमत करने का अधिकार [सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन \(GDPR\)](#) के [अनुच्छेद 17](#) में नहिति है, जो सूचनात्मक आत्मनरिणय और व्यक्तगत डेटा को नरितरति करने के अधिकार पर ज़ोर देता है।
- **अन्य राष्ट्र:** [कनाडा](#), [यूनाइटेड किंगडम](#), [अर्जेंटीना](#) और [जापान](#) जैसे देशों ने भी इसी तरह के कानून अपनाए हैं। वर्ष 2023 में एक कनाडा के न्यायालय ने व्यक्तगत डेटा पर सर्च ब्लॉक की मांग करने के अधिकार को बरकरार रखा।
 - **कैलिफोर्नया:** वर्ष 2015 का ऑनलाइन इरेज़र कानून (Eraser law) नाबालगिँ को अपनी पोस्ट की गई जानकारी हटाने की अनुमति देता है। वर्ष 2023 का [डिलीट एक्ट \(DELETE Act\)](#) वयस्कों को भी यह अधिकार देता है, जसिसे उन्हें डेटा ब्रोकर्स द्वारा एकत्र की गई व्यक्तगत जानकारी हटाने की अनुमति मिलती है।

भारत में वसिमत करने के अधिकार की व्याख्या कैसे की जाती है?

- **वर्तमान स्थति:** भारत में वसिमत करने के अधिकार के लयि कोई वशिष्ट वैधानकि ढाँचा नहीं है। हालाँकि इस अवधारणा को [गोपनीयता और डजिटल अधिकारों के संदर्भ](#) में संदर्भति कया गया है।
- **न्यायकि मान्यता:** [न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ](#) मामले में वर्ष 2017 के नरिणय में [नजिता के अधिकार](#) को संवधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जसिमें वसिमत करने का अधिकार भी शामिल है।
 - पुट्टस्वामी मामले में न्यायालय ने [वसिमत करने के अधिकार](#) को स्वीकार कया, लेकिन स्पष्ट कया कयि यह पूर्ण नहीं होना चाहयि। इसने उन परिदृश्यों को रेखांकति कया, जहाँ यह अधिकार लागू नहीं हो सकता है, जैसे कसिार्वजनकि हति, सार्वजनकि

स्वास्थ्य, अभिलेखीकरण, अनुसंधान या कानूनी दावों के लिये।

- कहा गया कि इस तरह के अधिकार को मान्यता देने का अर्थ केवल यह होगा कि कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत डेटा तब हटा सकेगा जब वह प्रासंगिक न हो या किसी वैध हति में कार्य न करता हो।

- **डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** यह अधिनियम "मिटाने" के अधिकार को मान्यता देता है, लेकिन ये नयिम न्यायालय के रिकॉर्ड और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़ों पर कैसे लागू होते हैं, यह असंगत न्यायिक व्याख्याओं के कारण स्पष्ट नहीं है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021:** मध्यस्थों को शिकायत के 24 घंटे के भीतर गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच अक्षम करने के लिये बाध्य करता है।

वसिमत करने के अधिकार से संबंधित न्यायिक पूर्ववर्ती उदाहरण क्या हैं?

- **राजगोपाल बनाम तमलिनाडु राज्य मामला, 1994:** इस ऐतिहासिक मामले में "अकेले रहने के अधिकार" पर चर्चा की गई, लेकिन इसे न्यायालय के नरिण्यों जैसे सार्वजनिक अभिलेखों के प्रकाशन से अलग रखा गया, जो सार्वजनिक टिप्पणी हेतु एक वैध विषय है।
- **धरमराज भानुशंकर दवे बनाम गुजरात राज्य, 2017:** गुजरात उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रिकॉर्ड से बरी किये जाने के विवरण को हटाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इस तर्क पर जोर दिया कि न्यायालय के आदेश सुलभ रहने चाहिये।
- **उड़ीसा उच्च न्यायालय (2020):** उड़ीसा उच्च न्यायालय ने "रविज पोरन" से जुड़े एक आपराधिक मामले में वसिमत करने के अधिकार पर गहन बहस के महत्त्व पर बल दिया।
 - न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार के क्रियान्वयन में जटिल मुद्दे शामिल हैं, जसिके लिये स्पष्ट कानूनी सीमाओं और नविरण तंत्र की आवश्यकता है।
- **दिल्ली उच्च न्यायालय (2021):** आपराधिक मामले में वसिमत करने के अधिकार को बढ़ाया गया, जसिसे याचिकाकर्ता के सामाजिक जीवन और करियर की संभावनाओं की रक्षा के लिये खोज परणामों से विवरण हटाने की अनुमति मिली।
- **सर्वोच्च न्यायालय का आदेश (जुलाई 2022):** सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को एक विवादास्पद वैवाहिक विवाद में शामिल जोड़े के व्यक्तिगत विवरणों को सर्च इंजन से हटाने के लिये एक तंत्र बनाने का नरिदेश दिया। इसने वसिमत करने के अधिकार की व्याख्या का वसितार किया।
- **केरल उच्च न्यायालय (दिसंबर 2023):** न्याय का अधिकार और सार्वजनिक हति के विषय में चर्चाओं का हवाला देते हुए नरिणय सुनाया कि वसिमत करने के अधिकार को चल रही न्यायालय की कार्यवाही पर लागू नहीं किया जा सकता।
 - न्यायालय ने सुझाव दिया कि **विधायी स्पष्टता की आवश्यकता है**, लेकिन इस बात पर भी सहमति जताई कि अधिकार का मूल्यांकन मामले की विशेषताओं और बीते समय के आधार पर किया जा सकता है।
- **हमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (जुलाई 2024):** बलात्कार के एक मामले में आरोपी और पीड़िता दोनों के नाम हटाने का नरिदेश दिया, जसिमें इस तर्क पर प्रकाश डाला गया कि एक बार बरी होने के बाद किसी व्यक्ति पर आरोपों का कलंक नहीं रहना चाहिये।

असंगत न्यायिक दृष्टिकोण से क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं?

- **एकरूपता का अभाव:** विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए विभिन्न नरिणय, वसिमत करने के अधिकार के अनुप्रयोग के संबंध में भ्रम उत्पन्न करते हैं, जसिके परिणामस्वरूप असंगत प्रवर्तन और संभावित कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
- **गोपनीयता और सार्वजनिक हति में संतुलन:** न्यायालयों को व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों और न्याय का अधिकार तथा सूचना तक सार्वजनिक पहुँच के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है, जसिसे स्पष्ट दिशा-नरिदेश स्थापित करना कठिन हो जाता है।
- **सार्वजनिक अभिलेखों पर प्रभाव:** राजगोपाल बनाम तमलिनाडु राज्य, 1994 में चर्चा की गई व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक अभिलेखों के बीच का अंतर चुनौतियाँ पेश करता है।
 - न्यायालयों को यह पता लगाना होगा कि सार्वजनिक न्यायालय के अभिलेखों की पहुँच और वैधता को कम किये बिना व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा कैसे की जाए।
- **विधायी स्पष्टता की आवश्यकता:** व्यापक कानूनी ढाँचे का अभाव अधिकार के असंगत अनुप्रयोग में योगदान देता है, जसिसे स्पष्ट मानकों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिये विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है।
- **अतिक्रमण की संभावना:** न्यायालयों के अलग-अलग दृष्टिकोण अतिक्रमण और डजिटल रिकॉर्ड की अखंडता के विषय में चर्चा उत्पन्न कर सकते हैं।
 - इस बात का जोखिम है कि निजी संस्थाओं पर ऑनलाइन सूचना की सटीकता और पूर्णता को प्रभावित करने वाली सामग्री को हटाने के लिये अनुचित दबाव पड़ सकता है।
- **अधिकारों में संतुलन:** न्यायालयों को वसिमत करने के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वसिमत करने के अधिकार और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के बीच समस्याओं को हल करने के लिये स्पष्ट मानकों की आवश्यकता है।
- **अन्य चुनौतियाँ:** अनुपालन मुद्दों और डेटा प्रतिकृति जैसी तकनीकी बाधाओं के कारण डजिटल प्लेटफॉर्मों तथा अधिकार क्षेत्रों में वसिमत करने के अधिकार को लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
 - सर्च इंजन, वेबसाइट और अन्य मध्यस्थों से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत कानूनी एवं तकनीकी तंत्र की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से पूरी जानकारी हटाना तकनीकी रूप से कठिन हो सकता है।
 - **पत्रकारिता पर प्रतिबंध:** यह पत्रकारों को कुछ लोगों के इतिहास और पछिली गतिविधियों का खुलासा करने से रोक सकता है, जसिसे पत्रकारों की मीडिया के माध्यम से स्वतंत्र रूप से सूचना तथा विचार प्रदान करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जसिसे पत्रकारिता की लोकतांत्रिक भूमिका प्रभावित हो सकती है।

'वसिमत करने का अधिकार' क्यों अपनाया जाना चाहिये?

- **व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण:** डिजिटल युग में व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पहचान पर नियंत्रण रखने का अधिकार होना चाहिये।
 - सरकारें और नज्दी संस्थाएँ ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखकर और उन्हें रिकॉर्ड करके गोपनीयता में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर सकती हैं।
 - कई बार व्यक्तिगत जानकारी, जैसे अंतरंग तस्वीरें या नज्दी ववरण, **बिना सहमति के ऑनलाइन साझा** कर दिये जाते हैं।
 - **'वसिमत करने का अधिकार'** इस मुद्दे का समाधान करते हुए, व्यक्तियों को ऐसी सामग्री को सार्वजनिक पहुँच से हटाने की अनुमति देता है।
- **डिजिटल क्षति को कम करना:** पुरानी या गलत जानकारी की मौजूदगी किसी व्यक्ति के जीवन पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिसमें उनके व्यक्तिगत संबंध और पेशेवर अवसर शामिल हैं। यह अधिकार पुराने या अप्रासंगिक डेटा को हटाने की अनुमति देकर ऐसे नुकसान को कम करने में मदद करता है।
 - व्यक्तियों को उनके **अतीत के लिये लगातार दंडित नहीं** किया जाना चाहिये, खासकर तब जब वे आगे बढ़ चुके हों या बदल चुके हों। अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि पुरानी जानकारी के आधार पर उनके साथ अन्याय न किया जाए।
- **गोपनीयता का अधिकार:** अवैध रूप से सार्वजनिक की गई नज्दी जानकारी तक पहुँचने का कोई अधिकार नहीं है।
 - वसिमत करने का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को **गैर-कानूनी रूप से प्रकट की गई व्यक्तिगत जानकारी के दुष्परिणामों के साथ जीने के लिये बाध्य न किया** जाए।

आगे की राह

- **वधायी रूपरेखा:** 'वसिमत करने के अधिकार' के साथ एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून बनाना, डेटा मटाने के लिये स्पष्ट मानदंड परिभाषित करना और एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना।
 - इस निकाय को गोपनीयता, प्रौद्योगिकी और कानून में विशेषज्ञता प्राप्त होगी, जिससे सुसंगत तथा नष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित होंगे।
- **अतिक्रमण:** स्पष्ट परिभाषाओं, सीमाओं और नरीक्षण तंत्र के माध्यम से **'वसिमत करने के अधिकार'** के दुरुपयोग को रोकना।
 - 'वसिमत करने के अधिकार' के मामलों में गोपनीयता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाने के लिये स्पष्ट न्यायिक दिशा-निर्देश विकसित करना, जिसमें सूचना की प्रकृति, सार्वजनिक हित तथा प्रकाशन के बाद से बीता समय जैसे कारकों पर विचार किया जाए।
- **उद्योग स्व-नियमन:** ज़िम्मेदार डेटा हैंडलिंग प्रथाओं को विकसित करने के लिये उद्योग स्व-नियमन को प्रोत्साहित करना। डेटा न्यूनीकरण और सुरक्षा डेटा विलोपन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
 - डेटा विलोपन और गुमनामीकरण से संबंधित तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिये अनुसंधान तथा विकास में निवेश करना।
- **जन जागरूकता:** डेटा गोपनीयता अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाना। ज़िम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देना।

नष्पक्ष

"वसिमत करने का अधिकार" कानूनी और तकनीकी क्षेत्रों में महत्व प्राप्त कर रहा है, जो गोपनीयता सुरक्षा में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। भारत में वशिष्ट कानून की कमी का मतलब है कि इस अधिकार को वर्तमान में न्यायपालिका के माध्यम से संबोधित किया जाता है, लेकिन भविष्य के कानून से इस अधिकार को मान्यता देने के चल रहे प्रयासों के साथ एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करने की उम्मीद है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: वशिष्ट कानून की कमी का मतलब है कि इस अधिकार को वर्तमान में न्यायपालिका के माध्यम से संबोधित किया जाता है, लेकिन भविष्य के कानून से इस अधिकार को मान्यता देने के चल रहे प्रयासों के साथ एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करने की उम्मीद है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न 1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के

संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही और समुचति ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध ।
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि राज्य नीतिके नदिशक तत्त्व ।
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ ।
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध ।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न 1. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के वसितार का परीक्षण कीजयि । (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/right-to-be-forgotten-5>

